10/02/21

पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगणो की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम कानरखेड़ा की ख०न० 803 रकबा 0.04 हैक्ट०, ख०न० 804 रकबा 0.31 हैक्ट०, ख०न० 1402 रकबा 0.13 हैक्ट० भूमि, जिसका पुराना ख०न० 334/2 रकबा 02-06 बीघा था। उक्त भूमि संवत 2037 से 2040 की जमाबंदी में पन्नालाल पिता दुल्हीचंद, मु० गोरी, मु० गोपी पिता दुल्हीचन्द यादव निवासी आकोला के नाम खातेदारी में जमाबंदी में अंकित थी। मौके पर कब्जा पन्नालाल पिता दुल्हीचंद का था, दोनों बहनें अपने स[illegible] निवास करती थी। प्रार्थीगण ने [illegible] [illegible] नं० 4 के पति देवीलाल पिता शिवलाल यादव ने पन्नालाल यादव से ख०न० 334/2

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.10 20:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	रकबा 02-06 बीघा मे से 1/2 हिस्सा पश्चिम दिशा की तरफ का खरीद लिया था। प्रार्थीगण के पिता देवीलाल की मृत्यु 10.01.2006 को हो गयी। प्रार्थीगण के पिता देवीलाल का जीवन काल से ही उक्त आराजी के पश्चिम भाग तथा विक्रेता पन्नालाल का पूर्वी भाग पर कब्जा चला आ रहा है। विवादित आराजी मे प्रतिवादी नं॰ 1 का 1/3, मु॰ गोरी का 1/3 व मु॰ गोदी का 1/3 हिस्सा बनता है लेकिन अप्रार्थी सं. 01 पन्नालाल ने प्रार्थीगण के पिता देवीलाल को 1/2 हिस्सा बेचान कर दिया लेकिन प्रार्थीगण 1/3 हिस्सा ही लेना चाहते है। पन्नालाल ने प्रार्थीगण के पिता को उक्त आराजी के 1/2 हिस्से का विक्रय कर कब्जा संभला दिया था लेकिन रेवेन्यु रिकार्ड मे नामा॰ दर्ज नही हुआ। अप्रार्थी सं. 01 पन्नालाल का विक्रय दिनांक 16.06.1900 से ही वादग्रस्त आराजी में कोई हक नही रहा है अतः अप्रार्थी सं. 01 पन्नालाल पिता दुलीचंद यादव का नाम जमाबंदी से हटाया जाये। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगणों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करावे। हमने वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन व मनन किया। स्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत / सिद्ध होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र [illegible] धारा-212 राजस्थान [illegible] स्वीकार योग्य होने [illegible] कारण स्वीकार किया जाता है अतः प्रार्थीगण [illegible] के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण वादग्रस्त आराजी मे स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 10.02.2021 को

खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.02.10 20:08:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner